



फर्द अहकाम

( नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती भोगी बनाम कल्ल (वर्ग)

किरम मुकदमा ..... प्रा ५७ 111-128 ..... नं० 21 ..... सन 2023

नांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
2-23	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 28-2-23 को पेश हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
28 2/23	<p>पत्रावली पेश हुई, जमिन्दावकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्वगत तार रखने से पत्रावली दिनांक 28-2-23 को पेश हो। 14-23</p>	
14 3/23	<p>पत्रावली पेश हुई, जमिन्दावकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्वगत तार रखने से पत्रावली दिनांक 28-2-23 को पेश हो।</p>	
28 3-23	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपस्थित प्रार्थीगण के सम्मन बाफ तामिल लेकर प्राप्त हुए जिसे शा ५७ किये गये। विपक्षीगण को कितनी तार केक रुक कर आवाजे दिवायी जाने के बाद भी उपस्थित मही। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है वकील प्रार्थीगण का आदेश स्वीकार किया जाकर निर्णय पत्र को लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा</p>	

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

सुनना संख्या - 21/83 प्रा०पत्र

1- श्रीमती मांगी डोगडोलरगर पं० हरिधरगर निवासी - लसाडिया हाल नि० आलेसरिया तहसील (कंगर)

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री कालू डोगडी सुरवेत बुधरि निवासी - लसाडिया तहसील - माण्डल (कंगर)  
(संबंधित प्रा०पत्र संख्या)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 28-03-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लसाडिया पटवार हल्का अमरगढ़ तहसील माण्डल में उसके खाते /सयुक्त खाते की आराजी न० 568/14 कुल किता 01 रकबा 0.5059 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संवदी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 01-02-23 को पंजीयत किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त को होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम लसाडिया पटवार हल्का अमरगढ़ तहसील माण्डल में उसके खाते/सयुक्त खाते की आराजी न० 568/14 कुल किता 01 रकबा 0.5059 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु नू-अभिलेख निरीक्षक पीयारा को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए गुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाडा